



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9211

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 41657 वर्ष 2025

सुनील मित्तल

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : यश राज वर्मा

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री यशराज वर्मा और राज्य-प्रत्यर्थीगण के लिए विद्वान ए.जी.ए. श्री अरिमर्दन यादव को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त-आवेदक सुनील मित्तल की ओर से दाखिल किया गया है, जिसमें विचारण के लंबित रहने के दौरान मुकदमा अपराध संख्या 199/2017, धारा 419, 420 भारतीय दण्ड संहिता, धारा 66 सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम तथा धारा 4/5/60 पुरस्कार चिट्स एवं धन परिसंचरण योजनाएँ (प्रतिषेध) अधिनियम, 1978, थाना- रॉबर्ट्सगंज, जनपद- सोनभद्र में उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इस मुकदमा अपराध संख्या में मिथ्या रूप से फँसाया गया है तथा वह दिनांक 02.02.2017 से कारागार में निरुद्ध है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि समान परिस्थितियों वाले सह-अभियुक्त आयुषी अग्रवाल को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 38650/2025 में आदेश दिनांक 03.12.2025 के माध्यम से पूर्व में ही जमानत प्रदान की जा चुकी है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक विगत सात

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वर्ष से अधिक समय से कारागार में निरुद्ध है। उसके विरुद्ध 227 मामलों के आपराधिक पूर्ववृत्त (का समुचित स्पष्टीकरण दिया जा चुका है तथा जमानत पर रिहा किए जाने की दशा में उसके न्यायिक प्रक्रिया से फरार होने अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है।

इसके विपरीत ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सका कि इसी तरह से उपरोक्त सह-अभियुक्त को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि के प्रकरण में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति, लंबी अवधि की कारावास, गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया प्रकरण, लेकिन प्रकरण की गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, जमानत के लिए एक प्रकरण बनाया जाता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

अभियुक्त-आवेदक **सुनील मित्तल**, जो उपर्युक्त उल्लिखित मुकदमा अपराध संख्या में सम्मिलित है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो विश्वसनीय प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/न ही डरायेगा और मुकदमे में सहयोग नहीं करेगा।
4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति को छूट नहीं दी जाती है।

उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, अवर न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगी।



(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

14 जनवरी, 2026

दीपक/

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।